<u>संख्या- 12/2022/1016/77-1-2022/001-1016</u>

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2022

विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप) लखनऊ के कर्मियो के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 मे व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में जारी निर्देशो के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ के कर्मियो के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नवत बजट प्राविधान किया गया है-

20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) रू0 20.00 लाख
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) रू0 188.00 लाख

2- अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 28 अप्रैल 2022 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30-12-2021 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ के कर्मियों के वेतनादि के भुगतान एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 (लेखानुदान) के रूप में प्रथम चार माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि रू0-3,33,000.00 (रू0 तीन लाख तैंसीस हजार मात्र) तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि रू0-1,52,60,000.00 (रू0 एक करोड़ चालीस लाख मात्र) का एक तिहाई निर्गत की गई।

3- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट तथा वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में दी गई व्यवस्थानुसार के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि को घटाते हुए इटप, लखनऊ को निम्न तालिकानुसार वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है-

क्रमांक	मानक मद	प्रयोजन	बजट प्रावधान (रू0)	लेखानुदान के रूप में पूर्व में निर्गत धनराशि (रू0)	अवमुक्त की जा रही धनराशि	अवशेष धनराशि (रू0)
1	20-सहायता अनुदान-	रख-रखाव	20,00,000.00	3,33,000.00	6,67,000.00	10,00,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सामान्य (गैर वेतन)	संचालन आदि				
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	कार्मिकों के वेतनादि	1,88,00,000.00	50,86,000.00	1,37,14,000.00	शून्य
		योग	**2,08,00,000.00**	**54,19,000.00**	**1,43,81,000.00**	**10,00,000.00**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

2. इस संस्थान के कर्मियों के वेतन हेतु नियमानुसार तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

3. प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2885608001800 इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) (*2*) रुपये 1,37,14,000 (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2885608001800 इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) **मानक मद** 31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- 12/2022/1016/77-1-2022/001-1016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर।

3- कोषाधिकारी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।

5- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु0-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।